कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email- Nodalofficerddn@gmail.comPhone/Fax-2767611

पत्रांकः— 1066 /FP/UK/ MIN/154581/ 2021 दिनॉकः देहरादून 19 अक्टूबर, 2022

सेवा में,

वन महानिरीक्षक (एफ0सी0),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज,
नई दिल्ली— पिन— 110003।

विषयः—जनपद चम्पावत के हल्द्वानी वन प्रभाग के अन्तर्गत आरक्षित वन क्षेत्र में बहने वाली शारदा नदी के स्वीकृति (FC) पुर्नप्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा लगायी गयी आपत्तियों के निराकरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः—भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन नई दिल्ली की पत्र संख्या—8—61/1999—FC (Pt,VII) दिनांक—13.05.2022।

महोदय,

विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित ई0डी0एस0 दिनांक 13.05.2022 के अनुपालन में वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी के पत्रांक 166/12—1 दिनांक 03.08.2022/प्रभागीय वनाधिकारी (प्रति संलग्न) के द्वारा प्रेषित वांछित सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है, जो कि निम्नानुसार संलग्न कर प्रेषित की जा रही है :—

आपत्ति	उत्तरालेख
i. Detail of compensatory afforestation, in lieu of approval accorded for 384.69 ha of forest land, undertaken in the past, its survival percentage, year wise detail of expenditure proposed and incurred needs to be submitted by the State along with soft copies of KML/shape files of all sites to enable in-depth analysis of the proposal using DSS tools.	वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी के उक्त पत्र के माध्यम से क्षतिपूरक वृक्षारोपण के विवरण एवं KML/Shape File की सी.डी इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है, जिसे संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण की सूचना अतिरिक्त कॉलम में अपलोड कर दी गयी है। (सी0डी0/संलग्नक—01)
ii. Analysis of the proposal using Decision Support System revealed the following:	
a. As per DSS analysis, out of total area of 397 ha (software estimated), 52 ha falls under MDF, 15 ha open forest, 139 ha under water and remaining 191 ha as non-wooded forest land. Therefore, in light of observation made in DSS report, submission made by the State need justification to support their claim of area having vegetation density of 0.01 with no project affected trees. Discrepancy in the area may also be commented upon by the State. State also needs to justify the inclusion of 139 ha reportedly under water for proposed mining.	वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी के उक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रस्ताव में प्रस्तावित खनन क्षेत्र 384.69 है0 लिया गया है, जिसका मानचित्र मय कॉर्डिनेट संलग्न किया गया है। उक्त क्षेत्र पूर्व में भी लिया गया था, जिस पर वर्तमान में खनन कार्य किया जा रहा है। प्रस्तावित उपखनिज चुगान क्षेत्र के दोनों ओर आरक्षित वन क्षेत्र है, जबकि उपखनिज चुगान क्षेत्र वृक्ष विहीन है। (संलग्नक—02)
b. Tanakpur dam, NHPC Ltd. power station and a road is visible inside the area proposed for mining. Some non-forestry works is visible near the dam site which can be verified	वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी के उक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि टनकपुर बैराज के निर्माण आदि हेतु एफ0सी0 के अन्तर्गत अनुमति प्रदान की

आपत्ति	उत्तरालेख
through the Google Imagery available from year 2019 onwards. State Government may comments on the same via-a-vis violation of Forest (Conservation) Act, 1980.	गयी है। इसी प्रकार कमशः इण्डो नेपाल सीमा के अन्त टनकपुर बैराज से बरमदेव मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.34 है वन भूमि तथा टनकपुर बैराज से भारत नेपाल के मध्य 1.2 कि0मी0 लम्बी नहर के निर्माण हेतु 12 है0 वन भूमि एन0एच0पी0सी0 को पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र संख्या– 8बी0/यू0सी0पी0/06/49/2018 /एफ0सी0/551 दिनांक 26.06.2018 एवं पत्र पत्र संख्या-- 8बी0/यू0सी0पी0/02/90 2018/ एफ0सी0/505 दिनांक 31.05.2019 से अनुमति प्रदान की गयी है। टनकपुर बैराज से अपस्ट्रीम में जलाशय क्षेत्र आर0डी0 2200 मी0 तक है तथा टनकपुर बैराज से डाउनस्ट्रीम में निर्मित 335 मीटर तक है, जो खनन हेतु प्रतिबन्धित है साथ ही आवंटित बांध क्षेत्र में एन0एच0पी0सी0 द्वारा समय–समय पर बांध की मरम्मत कार्य किया जाता है। इस प्रकार गूगल इमेजरी में जो भी गैर वानिकी कार्य दृष्यमान हैं, वे नियमतः है एवं वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का किसी प्रकार से उल्लंघन नहीं किया गया है।
c. KML file of the safety zone has not been submitted/uploaded online.	वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी के उक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रकरण की KML File अपलोड़ कर दी गयी है, जिसकी सी0डी0 संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। **(सी0डी0 संलग्न)**
d. As the area is located at a distance of approximately 3 km (1.60 km aerial distance) from the boundary of Dudwa-Lagga_Bagga-Philibhit Tiger Corridor, comments of the Chief Wildlife Warden on the proposed proposal may be obtained by the State and the same may be submitted for the Ministry for consideration.	वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी के उक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रभागीय वनाधिकारी पत्र संख्या 173/12–1/दिनांक 20.07.2022 के द्वारा दुधवा–लग्गा–बग्गा–पीलीभीत टाईगर कॉरीडोर के सम्बन्ध में मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक देहरादून का अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। **(संलग्नक–03)**
iii. Examination of the Mining scheme revealed the following:	
a. Mining Plan/Scheme mention that time extension of lease has been granted for a period of another 10 years vide Government letter dated 26.06.2020. It needs to be clarified by the State whether the extension is considered over 55.03 ha or entire area of 384.69 ha approved under the FC Act, 1980.	वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी के उक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि आगामी 10 वर्षों के शारदा नदी के खनन क्षेत्र का क्षेत्रफल 384.69 हे0 है, जिसमें अपस्ट्रीम 101.00 है0 तथा डाउनस्ट्रीम 283.69 हे0 है, जिसमें नदी के दोनों किनारों की ओर 25–25% छोड़ा जाता है एवं नदी के टापू के क्षेत्र को सम्मिलित किया गया है। इस प्रकार वर्तमान माईनिंग प्लान में डाउनस्ट्रीम 55.3 है0 क्षेत्र दर्शित है।
b. Comments of State on validity of Mining Plan / Scheme after 12.02.2023 i.e. whether any revised Mining Plan and renewal of lease is under consideration or granted by the State for further period after the expiry of the lease. In case the certain forest areas are not to be considered mining, such areas should be surrendered back to Forest Department.	वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी के उक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रभाग द्वारा 02 वर्ष का माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है तथा भविष्य हेतु 05 वर्षीय माईनिंग प्लान की प्रकिया गतिमान है।

आपत्ति	उत्तरालेख
Lease has been considered for extension for a period of 10 years while the Scheme of Mining has been submitted only up-to 27.12.2020. The discrepancy needs to be rectified by the State.	वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी के उक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा 02 वर्ष का माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जिसकी अवधि दिनांक 11.02.2023 तक है तथा आगामी वर्षों हेतु माईनिंग प्लान की प्रक्रिया गतिमान है।
d. Land use / Component wise breakup of the area proposed for diversion i.e. area under mining, infrastructure, approach road, storage of top soils, etc. has not been mentioned neither in the proposal nor in the Mining Scheme. The same needs to be furnished by the State.	वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी के उक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि खनन क्षेत्र में दोनो ओर 25 प्रतिशत भाग को छोड़कर शेष भाग में खनन कार्य किया जाता है, इस कारण केवल 192.345 है0 क्षेत्र में ही खनन किया जाता है खनन योग्य क्षेत्र में कोई भी infrastructure नहीं है तथा Approach road को माईनिंग प्लान की प्लेट संख्या 06 में दिखाया गया है।
e. Mining Plan essentially has to be prepared in consonance with the provisions of the relevant mineral concession rules and accordingly diversion proposal should be formulated by the State. Mining Plan, if any, prepared and approved for the entire period of 10 years may be submitted by the State providing the full detail of the land use, mining area, its reclamation, etc.	वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी के उक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि 02 वर्ष की खनन योजना, राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है तथा 05 साल हेतु खनन योजना प्रस्ताव प्रस्तावित है।
iv. Status of District Survey Report, if any, prepared by the State Government in Champawat District in accordance with the Guidelines on Sustainable Sand Mining - 2019 issued by the Ministry vis-à-vis recommendation made thereof on the mining of RBM proposed in the extant proposal.	वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी के उक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा चम्पावत जिले की जिला सर्वे रिर्पोट प्रेषित की गयी है, जो उनके पत्र के साथ संलग्न है। **(संलग्नक–04)**
v. The State Government may also submit its comments whether the report prepared by the Indian Institute of Soil and Water Conservation is in conformity with the Sustainable Sand Mining Guidelines 2019 or otherwise.	वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी के उक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के Sustainable Sand Mining Guideline मे 2016 अनुरूप है, जो प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र के साथ संलग्न है। **(संलग्नक–05)**
vi. Details of estimation of cost benefit ratio has not been provided / uploaded online. The same needs to be estimated by accounting all parameters specified in the Guidelines dated 1.08.2017 issued by the Ministry, incorporated at Annexure –III of Handbook of Forest (Conservation) Act, 1980.	वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी के उक्त पत्र के माध्यम से लाभ तालिका इस कार्यालय उपलब्ध करायी गयी है, जिसे संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। **(संलग्नक–06)**

आपत्ति	उत्तरालेख
vii. As per Supreme Court order dated 28.03.2008, revenue earned from the sale of RBM should be utilized for conservation work. Detail of amount earmarked and incurred on conservation may be provided on annual basis for the last decade.	वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी के माध्यम से अवगत कराया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश दिनांक 28.03.2008 के अनुसार आर0बी0एम0 की बिक्री से अर्जित राजस्व को विभिन्न विभाग को दिया जाता है। विगत वर्षो का विवरण संलग्न कर इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है, जिसे संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। **(संलग्नक–07)**
viii. Details of money deposited in SPV made in the previous approval and SMC works done so far may also be provided.	वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी के माध्यम से अवगत कराया गया है कि एस0पी0वी0 की धनराशि का विगत वर्षों का विवरण संलग्न कर इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है, जिसे संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। **(संलग्नक–07 के अनुसार)**

अतः वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रेषित प्रतिउत्तर के क्रम में प्रश्नगत प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(एस0एस0 रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,

संख्या 1066 / FP/UK/ MIN/154581/ 2021 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी के पत्रांक 166/12–1 दिनांक 03.08.2022, पत्र दिनांक 06.09. 2022 के क्रम में।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी।
3. प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, टनकपुर।

19/10/22

(एस0एस0 रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,